हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्याः एफ0एफ0ई0–बी–ए(3)–4/2016 तारीख :शिमला–171002 20 अप्रैल, 2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 41 और 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 26–11–2013 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30.11.2013 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश वन उपज अभिवहन (भू–मार्गों द्वारा) नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम, — 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन उपज अभिवहन (भू–मार्गों द्वारा) संशोधन नियम, 2017 है।

2. उपाबन्ध 'घ' का संशोधन। — 2. हिमाचल प्रदेश वन उपज अभिवहन (भू–मार्गों द्वारा) संशोधन नियम, 2013 के उपाबन्ध 'घ' में अनुसूची –1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात :–

"अनुसूची–1"

(नियम 8 (1) देखें)

प्राइवेट भूमि पर उगने वाली निम्नलिखित पौध प्रजातियों से अभिप्राप्त वन उपज के लिए अभिवहन पास की अपेक्षा से छूट

क्रम संख्या	प्रजातियों का स्थानीय नाम	प्रजातियों का वानस्पतिक नाम
1.	काला सिरिस /ओई/सिरिस	अलबिजीया प्रजाति
2.	कचनार/करयाल	बौहीनिया प्रजाति
3.	सफेदा	यूकैलिप्टस प्रजाति
4.	किम्मू/ चिम्मू/शैहतूत/ तूत/ मैलबरी	मोरस प्रजाति
5.	पोपलर	पोपलस डेलटियॉडिस

6.	भारतीय विलो / बीयूंस	सालिक्स प्रजाति
7.	बैम्बू क्लमस / लाठी बांस / मग्गर / धरेंच / बांस	डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस / डेन्ड्रोकेलेमस हेमिलटोनी / बेम्बुसा न्युटेन्स / बेम्बुसा बैम्बु
8.	कुठ	सोसारिया कोस्टस (सोसारिया लापा)*
9.	काला जीरा	बनियम परसिकम
10.	जापानी शहतूत / पेपर मलबैरी	ब्रोसिनिशिया पेपीरीफेरा
11.	पेइक / कोई / कोश / कुनिस / कुनिश / न्यून	एलनस निटिडा
12.	खिड़क / खड़की	1.सेलटिस औस्ट्रालिस 2. सैलटिस टेटरेन्ड्रा
13.	दरेक / बकिन	मेलिया एजादारच
14.	फगूड़ा / फेगुडा / त्यामल / तिमला / तिरमल / अंजीरी / कलस्टर फिग / गुलर	फाइकस प्रजाति
15.	तून	तूना सिलियेटा
16.	जामुन	सिजिजीयम क्यूमिनी
17.	टीक / सगुन / सागवान	टेकटोना ग्राडिंस
18.	अर्जुन	टरमिनेलिया अर्जुना
19.	सिमल / शलमाटस	बोम्बाक्स सिवा
20.	बिहूल / बेयूल / भिमल / भियूनल / धमन	ग्रेबिया प्रजाति
21.	पाजा / पदम	प्रुनस सिरासस
22.	कामला / रैनी / रोहण / रोहिनी / सिन्दूरी	मेलोटस फिलीपैन्सिस
23.	आम (वन्य प्रजाति)	मैंगीफैरा ईड़िका
24.	रिस्टक / रीठा / डोडे	सेपिंडस मुकोरोसाई

*कुठ (साएसयूरिया कोस्टस /लप्पा) का निर्यात तथापि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की अपेक्षा को पूर्ण करने के अध्यधीन होगा।

इस अनुसूची में सूचीबद्ध और प्राईवेट भूमि में उगने वाली पौध प्रजातियों से अभिप्राप्त वन उपज का हटाया जाना और परिवहन करना निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार होगा:-

I. भूस्वामी स्थानीय वन रक्षक के माध्यम से सम्बद्ध वन परिक्षेत्र अधिकारी को पेड़ कटान प्रारम्भ करने से पूर्व अनुमानित पैदावार सहित, इस अनुसूची में सूचीबद्ध पौध प्रजातियों से वन उपज के कटान करने के अपने आश्य को लिखित में सूचित करेगा।

II. वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उस भूमि का, जिससे ऐसा कटान किया जाना प्रस्तावित है, का निरीक्षण कर सकेगा और पैदावार को सत्यापित करेगा।

III. वन परिक्षेत्र अधिकारी, भूस्वामी को प्राईवेट भूमि से अभिप्राप्त वन उपज के ब्यौरे देते हुए पत्र जारी करेगा।

IV. भूस्वामी इस पत्र को सत्यापित की गई वन उपज के परिवहन के दौरान साथ ले जाएगा।

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः एफएफई–बी–ए(3)–4/2016 तारीख शिमला–02 20 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. विषेश सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनाँक 10.04.2017 की मद संख्या–10 के सन्दर्भ में।
3. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि–राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हॉफ), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य–प्राणी) एवं वन्य जीव संरक्षक हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001
6. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त मुख्य अरण्यपाल /अरण्यपाल वन/वन मण्डलाधिकारी हिमाचल प्रदेश ।
8. निजी सचिव, मुख्यमंत्री/वन मंत्री हिमाचल प्रदेश।
9. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन हेतु ।
10. रक्षक नस्ति।

(सत पाल धीमान) 20-4-2017
संयुक्त सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष न0: 0177–2621874